



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड -1, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी

पत्रांक...1288/9सी

दिनांक...03.04.2023

सेवा में,

अजीत कुमार सिंह (प्रबन्धक),
चन्द्रप्रभा पब्लिक स्कूल,
लखनसेनपुर, बनकट, कपसेठी,
वाराणसी।

विषय:- नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 (एन0बी0सी0) प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-CPS /71339/2022-2023, दिनांक-22.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि चन्द्रप्रभा पब्लिक स्कूल, लखनसेनपुर, बनकट, कपसेठी वाराणसी के स्कूल भवन से सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर स्कूल भवन का निरीक्षण किया गया। अतिरिक्त निर्मित कक्षों का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 (सलग्न चेक लिस्ट) के सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित प्रतीत होता है इस भवन का निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के दिशा निर्देश में न होने के कारण स्ट्रक्चर सेफ्टी की जिम्मेदारी स्कूल प्रबन्धन की होगी।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
वाराणसी

पत्रांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
2. आशुलिपिक, नि0ख0-1, लो0नि0वि0, वाराणसी को अभिलेख संरक्षित करने हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
वाराणसी

**विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (NBC)/अग्नि से सुरक्षा संबंधी चेक लिस्ट
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0 विद्यालय (कक्षा 1 से 12) हेतु चेक लिस्ट**

क्रमांक	सुरक्षा संबंधी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक/इंजीनियर से बना है ?	हाँ।
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	लागू नहीं।
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है ?	नहीं।
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.80 हेक्टेयर (18000 वर्गमी0) है ?	नहीं।
5	क्या भवन के चारो तरफ 6.00 मी0 खुला स्थान है ?	हाँ।
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में सेट बैंक में पार्किंग है ?	हाँ।
7	क्या भवन का ओरिएन्शन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ।
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी0 है ?	नहीं।
9	क्या भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गई ?	हाँ।
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है ?	हाँ।
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है ?	नहीं।
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.60मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.00 मी0 है) ?	हाँ।
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वारा (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00मी0 एवं ऊँचाई 4.50 मी0 है ?	नहीं।
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ।
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ।
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.00मी0 ऊँचाई 2.00 मी0) है ?	हाँ।
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है, तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हाँ।
18	क्या एक मंजिला से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है ?	हाँ।
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	हाँ / ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर नहीं लगाए।
20	क्या भवन में फर्स्ट एण्ड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First air Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है ?	हाँ।
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ।
22	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	हाँ।

L.K. Sahni
25/6/2019

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
वाराणसी

K. K.
अधिशाला अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
वाराणसी